

**कार्यक्रम**

**उच्च शिक्षण परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्याक- दिनांक- 09/08/2021

**संबंधित विषय**

उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण और शैक्षणिक सहायता 2021-22 हेतु उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण और शैक्षणिक सहायता 2021-22 हेतु उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित उच्च शिक्षण के सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक बंधे निर्णय के अनुसार में उच्च शिक्षण के परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 4858-PANGHSIDDHA PHARMACY COLLEGE, SANDWA, DUBAN, SAHABGANJ, PRATAPGARH

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था का पता एवं नाम : 4858-PANGHSIDDHA PHARMACY COLLEGE, SANDWA, DUBAN, SAHABGANJ, PRATAPGARH द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च शिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु उच्च शिक्षण परिषद अधिनियम 1982, सेक्टर 2, दिल्ली-110002 तथा अन्य संबंधित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि में प्रदान करेगी हेतु ₹ 30,50,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की अवधि में प्रदान करेगी हेतु ₹ 45,000,000/- प्रतिवर्ष का एक तथा दो वर्षों की अवधि में प्रदान करेगी हेतु ₹ 22,500,000/- प्रतिवर्ष का शुल्क की प्रत्येक अवधि में प्राप्त किया जाएगा। उच्च शिक्षण परिषद के उच्च शिक्षण अधिनियमों से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था पर वसूली द्वारा निर्धारित विधि के अन्तर्गत शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी और उच्च शिक्षण परिषद के



इस जानकारी आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की तयोजनाम इसे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (30000) प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को संचालित किया जाता, शिक्षणमासों-2000 की तर्ती का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही उचित दिया जाएगा। सीटों के रिक रूफ उभरे की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सत्र-सत्र पर निरंतर शासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सहायता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनएचसी/सीपीएच/एनएचसी/आइए से आवासीय कम हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बतये गये विधित्तियत्री/अधित्तियत्री/हास्पाट/सर्विसिटी/एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 20000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30000 द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षा हेतु छात्रों को पाठ्यक्रम की संरचना यदि जी.सी.आई. गई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त जानकारी संस्था का रीमा अंत विधि से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य उठायेगी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र बाबर किया जाता है तथा बाबर पत्र के संबंध में सा. सहायक द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संबंधी आदेश निरंतर किया जाता है-ती संस्था परिपूर्ति संबंधित संस्था को करने होगी।
- ✓ शिक्षा हेतु छात्रों को पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बतये गये के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व पीसी/आइए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद, संशोधन को उपस्था करना होगा। संस्था उन्हें प्रवेश की अनुमोदन के संबंध में अथवा संस्था स्तर पर लीचे प्रवेश अनुमोदन नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निरंतर तयोजनाम अवसलन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐडमिनिस्ट्रेशन सूचि सूचि, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपस्था, फस किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण परिषद हेतु उन्मुख छात्रवृत्ति उपस्था करने के लिए राशि गीष्प के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो के कि संस्था में पदाधिकारी संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने जाते हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्था बताये गये अतिरिक्त, भूमि-सत्र, कर्मचार, उपस्था इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपस्था का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सहायक समस्त किया जाने की अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ संस्था को संशोधित निर्देशन दरमम यदि संस्था में शिक्ष, सत्र, प्रयोगस्थल, उपस्था एवं अन्य साज-सज्जा एनएचसी/सीपीएच/एनएचसी/आइए/परिषद के समस्तनुसार उपस्था नहीं पाया जाता है तो संस्था को सहायक समस्त कर ही जायेगी।
- ✓ सहायक समी का अनुमोदन न किये जाने अथवा सती का अनुमोदन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुमोदन/सहायक कार्यवाही की जायेगी।



(सुनील कुमार खोसकर)

सचिव

क्रमांक- प्राविपापसिधद संम्बद्धता/2021/3638-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

पञ्चसिद्धा लिमिटेड PANCHSIDDHA PHARMACY COLLEGE, SANDWA, DUBAI, SARABGANJ,  
PRATAPGARH



(सुनील कुमार खोसकर)

सचिव

